तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/1199/2011/हनुमानगढ़ महावीर व अन्य बनाम कमला व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

उपस्थित :

श्री श्रीनिवास बेनीवाल अभिभाषक अपीलांट्स

श्री अमृतपाल सिंह वानर
श्री शशिकान्त जोशी
श्री गौरव दवे
} अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–आदेश–

दिनांकः– 13–05–2025

1– हस्तगत् द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा प्रथम अपील संख्या 19/2008 बउनवानी मु. कमला वगैरा बनाम महावीर वगैरा में पारित आदेश दिनांक 17–02–2011 जिसके माध्यम से रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ता 3 की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण विधि विरूद्ध तरीके से पुनः अधीनस्थ विचारण न्यायालय प्रतिप्रेषित किया गया है, के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही जाटान के खेत खसरा नम्बर 314 रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 358 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि अपीलांट्स के दादा मामचन्द की खातेदारी भूमि थी। उक्त भूमि की वसीयत आराजी जैर के मूल खातेदार मामचन्द द्वारा अपीलांट्स के पक्ष में दिनांक 14–02–1991 को निष्पादित कर दी गई थी। अपीलांट्स द्वारा उक्त वसीयत के आधार पर आराजी जैर के खातेदारी अधिकारों की मांग किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलांट्स के वादपत्र को इस आधार पर डिक्री किया गया कि तथाकथित वसीयत एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है, जोकि आज दिनांक तक अस्तित्व में है तथा इसके खण्डन में प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मौखिक कथन के आधार पर वसीयत को नकारा गया है। जिसे स्वीकार नहीं करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को विधिसम्मत् तरीके से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आराजी जैर को मौरूसी भूमि मानते हुए मामचन्द के पुत्रों का जन्म से हक मानते हुए प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने से व्यथित होकर उक्त द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/1199/2011/हनुमानगढ़ महावीर व अन्य बनाम कमला व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3– विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपील पर बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स/वादीगण के दादा मामचन्द की खातेदारी भूमि रही है। उक्त आराजीयात् की वसीयत दिनांक 14–02–1991 को अपीलांट्स/वादीगण के हक में मामचन्द द्वारा निष्पादित कर दी गई थी, जोकि उपपंजीयक, भादरा द्वारा तस्दीकशुदा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के बतौर वसीयतकर्ता अपीलांट्स/वादीगण द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र पेश किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर दादरसी सहित 9 तनकीयात् कायम की गईं जिसमें तनकी संख्या 1, तनकी संख्या 4 व 5 महत्वपूर्ण तनकीयात् रही है। जिन्हें साबित करने का भार क्रमशः वादी एवं प्रतिवादीगण पर था। अपीलांट्स/वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में रजिस्टर्ड वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया, जिससे यह स्पष्ट जाहिर था कि मामचन्द द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त आराजीयात् के संबंध में वसीयत निष्पादित की गई थी। इसी क्रम में तनकी संख्या 4 जिसके माध्यम से प्रतिवादीगण द्वारा यह कथन किया गया था कि वादग्रस्त भूमि मामचन्द की स्वयं की पैदाकरदा भूमि न होकर पैतृक भूमि है, जिस पर जुगलाल का जन्म से हक हिस्सा निहित है। उक्त कथन को साबित करने का भार प्रतिवादी जुगलाल पर था, परन्तु अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये जाने के आधार पर उक्त तनकीयात् प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की गई। इसी क्रम में तनकी संख्या 5 जिसके माध्यम से वसीयत को कुटरचित एवं अप्राकृतिक बताया गया है, के संबंध में भी कोई साक्ष्य अथवा वसीयत के निरस्तीकरण के संबंध में कोई कार्यवाही की गई हो का प्रमाण पेश नहीं किये जाने के आधार पर उक्त तनकीयात् भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय करते हुए मामचन्द की वसीयत के आधार पर आराजी जैर का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। परन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के मौरूसी होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये जाने के बावजूद भी प्रकरण को बिना किसी ठोस आधार के पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने के आदेश प्रदान किये गये है। जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपीलांट्स की हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का आक्षेपित आदेश निरस्त करते हुए अधीनस्थ विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को यथावत बहाल रखा जावे। **4–** विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि मामचन्द की स्वअर्जित सम्पति नहीं होकर मौरूसी भूमि रही है। जिस पर बतौर मामचन्द के पुत्र जन्म से अधिकार निहित होने के बावजूद भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा एक कूटरचित दस्तावेज अर्थात वसीयत के आधार पर आराजी जैर का खातेदार काश्तकार अपीलांट्स को घोषित किये जाने से व्यथित होकर प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/1199/2011/हनुमानगढ़ महावीर व अन्य बनाम कमला व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए व आराजी जैर मामचन्द की पैदाकरदा भूमि नहीं होने एवं संयुक्त मिताक्षरा परिवार की दादालाई जद्दी जायदाद खातेदारी काश्तकारी भूमि मानते हुए मामचन्द के पुत्र अमरसिंह, जुगलाल का जीवनकाल में जन्म से हक व अधिकार निहित होने के प्रश्न को दृष्टिगत् रखते हुए प्रकरण को पुनः विचारण न्यायालय के समक्ष उभय पक्षों की सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांट्स की अपील अस्वीकार कर खारिज फरमाई जावे।

5– विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।

6– पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही जाटान के खेत खसरा नम्बर 314 रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 358 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि भूमि अपीलांट्स के दादा मामचन्द की खातेदारी भूमि थी। उक्त भूमि के बाबत् मामचन्द द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयत दिनांक 14–02–1991 को वादीगण/अपीलांट्स के हक में निष्पादित की गई थी। जोकि उप–पंजीयक, भादरा द्वारा पंजीकृत एवं तस्दीक की गई है। इस प्रकार वसीयत दिनांक 14–02–1991 एक पंजीकृत दस्तावेज है। अपीलांट्स/वादीगण द्वारा उक्त वसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की मांग किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर दादरसी सहित नौ तनकीयात् कायम करते हुए आराजी जैर के बाबत् निष्पादित पंजीकृत वसीयत के आधार पर वादीगण को 1/4–1/4 हक व हिस्से के खातेदार काश्तकार होने व आराजी जैर मामचन्द की स्वअर्जित भूमि होने के आधार पर वादपत्र को डिक्री किया गया है। इसके विपरीत प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि को मौरूसी भूमि मानते हुए प्रकरण को पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है।

7– प्रकरण में जहाँ तक मामचन्द द्वारा दिनांक 14–02–1991 को वसीयत निष्पादित किये जाने का प्रश्न है, उक्त वसीयत एक पंजीकृत दस्तावेज है जोकि उप–पंजीयक, भादरा के द्वारा पंजीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त वसीयत की वैधता पर प्रश्न–चिन्ह् नहीं लगाया जा सकता। प्रकरण में जहाँ तक रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादी की मुख्य आपत्ति यह रही है कि मामचन्द द्वारा किसी प्रकार की कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गई तथा उक्त तथाकथित वसीयत एक फर्जी दस्तावेज है, परन्तु प्रकरण की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है, जिससे यह जाहिर हो सके कि अपीलांट्स/वादीगण के पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 14–02–1991 को निरस्त करवाने की कोई कार्यवाही सिविल न्यायालय के समक्ष की गई हो अथवा उक्त तथाकथित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/1199/2011/हनुमानगढ़ महावीर व अन्य बनाम कमला व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वसीयत को सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त ही किया गया हो। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स/वादीगण के पक्ष में मामचन्द द्वारा निष्पादित की गई वसीयत आज दिनांक तक एक अखण्डनीय दस्तावेज है तथा ऐसी अखण्डनीय वसीयत की वैधता पर राजस्व न्यायालय द्वारा कोई प्रश्नचिन्ह् नहीं लगाया जा सकता है।

प्रकरण में जहाँ तक रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण का यह कथन कि वादग्रस्त भूमि मामचन्द की स्व–अर्जित सम्पति नहीं होकर पैतृक सम्पति रही है, उक्त कथन को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था, परन्तु अपने उक्त कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे यह जाहिर हो सके कि वादग्रस्त भूमि मामचन्द की स्व–अर्जित सम्पति नहीं होकर एक मौरूसी भूमि रही हो। इसके विपरीत वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि मामचन्द की स्वअर्जित सम्पति होने के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2053 प्रस्तुत की गई है। जिसके अवलोकन से यह तथ्य साबित है कि उक्त आराजीयात् मामचन्द की खातेदारी की भूमि है। इस संबंध में वसीयतकर्ता द्वारा तथाकथित वसीयत में वर्णित सम्पति को स्वयं की पैदाकरता भूमि बताई गई है, खण्डन में प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मामचन्द को उपरोक्त भूमि उसके पिता बालूराम से प्राप्त हुई हो, ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त वसीयत के निष्पादन के समय गवाह रामकिशन (पीडब्ल्यू–2) ने विचारण न्यायालय के समक्ष स्वीकार करते हुए कथन किया कि मामचन्द की जमीन जाटान की रोही में 16 बीघा 12 बिस्वा भूमि थी तथा वाद भूमि मामचन्द की बोली में खरीदी हुई है। उपरोक्त तथ्यों से यह जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मामचन्द की स्वअर्जित सम्पति रही है। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत जाकर प्रकरण को बिना किसी ठोस एवं युक्तियुक्त कारण के पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने से हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

8– परिणामतः अपीलांटस् की हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–02–2011 निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, भादरा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–03–2008 की पुष्टि की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार लौटाया जाये। निर्णय की सूचना जरिये कम्प्यूटर अभिभाषकगणों को दी जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष